न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11 / 2016

1 श्रवण पुत्र बालूराम जाति बलाई उम्र 41 साल निवासी ग्राम दासा की ढ़ाणी, चारण का बास, चैनपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 भगवती देवी पत्नी परसराम मोरदिया जाति रघुवंशी निवासी फतेहपुर रोड़ सीकर।
2 रामस्वरूप पुत्र गोपालराम जाति बलाई निवासी पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 संतरा पुत्री बालूराम पत्नी नेमीचन्द उम्र 34 साल जाति बलाई निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।
4 बालूराम पुत्र गीदाराम उम्र 79 साल।
5 गोपाल पुत्र बालूराम उम्र 44 साल।
6 श्यामसुन्दर पुत्र बालूराम उम्र 38 साल।
7 मूलचन्द पुत्र गणपत ।
8 मदन पुत्र गणपत।
9 फूलचन्द पुत्र गणपत।
10 बलबीर पुत्र गणपत समस्त जाति बलाई निवासीगण दासा की ढ़ाणी, चारण का बास, चैनपुरा तहसील व जिला सीकर।
11 श्याना उर्फ शान्ति पुत्री गणपत पत्नी भगवाना राम जाति बलाई निवासी ग्राम बठोट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार, तहसील कार्यालय सीकर, जिला सीकर।
13 उप पंजीयक सीकर, कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 01.01.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी
श्रवण बनाम भगवती देवी आदि मुकदमा नम्बर
115/2014 पीठासीन अधिकारी आर.एन. शर्मा
आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री राजेश कुमार बेरवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री सतकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
5. श्री रणजीत सिंह काजला अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 115/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 01.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 91,92,93 वाके तन ग्राम चारण का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ बाबत वाद उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की और से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट ने इसका जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आदेश 7 नियम 11 का आवेदन

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की पैतृक भूमि का रेस्पोडेंट द्वारा विक्रय पत्र निस्पादित करवा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने हमारे वाद को गुणावगुण पर निर्णय किये बिना आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया। हमारे द्वारा राजस्व न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त करवाने का अनुतोष नही चाहा गया अपितु 1/10 हिस्से की घोषणा चाही थी। राजस्व न्यायालय घोषणा का दावा तय कर सकता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन वाद में विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2013 का बिन्दु ही मुख्य है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नही है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय में दावा भी कर रखा है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 91,92,93 किता 3 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर की खातेदारी गणपत बालूराम पिता गिदाराम जाति हरिजन समभाग निवासी दासा की ढाणी के नाम दर्ज है। जरिये नामान्तकरण संख्या 879 बालूराम पुत्र गीदाराम हिस्सा 1/2 बेचान के आधार पर खातेदारी रामस्वरूप पुत्र गोपालराम हिस्सा 1/2 जाति बलाई ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ के नाम दर्ज हुई। नामान्तकरण संख्या 930 के द्वारा रामस्वरूप पुत्र गोपालराम हिस्सा 1/2 के स्थान पर जरिये बेचान भगवती देवी पत्नी परसराम मोरदिया हिस्सा 1/2 जाति मेघवंशी फतेहपुर रोड़ सीकर के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है, कि विक्रेता बालूराम विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से का रिकार्डेड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदार काश्तकार था। उसने अपने हिस्से को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया है। कानूनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि जहां पैतृक कृषि भूमि जो हिन्दु अविभक्त परिवार की है यदि कर्ता द्वारा विक्रय किया जाता है तो उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ शून्य नही होकर शून्यकरणीय होता है एवं उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में परिवार के अन्य सदस्य द्वारा खातेदारी की उद्घोषणा विभाजन व कब्जे आदि के सम्बंध में चाहे गये अनुतोष तब ही प्रदान किया जा सकता है जब सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया जावें। इस प्रकार वादी इस न्यायालय से उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के रहते इस न्यायालय से उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिऐं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर